



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 793]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 6, 2018/कार्तिक 15, 1940

No. 793]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 6, 2018/KARTIKA 15, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1090(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11)की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 में संशोधन करने के लिए, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों को भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम निर्दिष्ट कहा जाएगा), में नियम 2 के उप-नियम (क) के खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“(छ) ‘प्रपत्र’ से इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;”
- उक्त नियमों में, नियम 50 के, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—
“(2) कोई भी व्यक्ति, अभियोजन के संस्थापित होने से पूर्व या बाद में, इस अधिनियम की धारा 33 में यथाविनिर्दिष्ट किसी अपराध के सह्योजन के लिए शमनीयता प्राधिकारी को प्रपत्र – ‘क’ में आवेदन दे सकता है।”

4. उक्त नियमों में, नियम 51 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“प्रपत्र-‘क’

[नियम 50 का उप-नियम (2) देखें]

(अपराध के सहयोजन के लिए आवेदन)

सेवा में,

शमनीयता प्राधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय मानक ब्यूरो

1. आवेदक का नाम और पूरा पता:
2. पत्राचार का पता और दूरभाष नम्बर:
3. (क) स्थायी खाता संख्या (पैन नम्बर):
(ख) जी.एस. टी. नम्बर (यदि कोई हो):
4. मामले का क्षेत्राधिकार रखने वाली भारतीय मानक ब्यूरो की शाखा :
5. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016, उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के वे विशिष्ट प्रावधान/धाराएं जिनके विरुद्ध अभियोजन संस्थापित किया गया है या चलाया गया है जिसे शमनीय बनाने के लिए आवेदन दिया जा रहा है (न्यायालय के मामले की स्थिति/स्तर का उल्लेख करें):
6. न्यायालय के मामले के सम्बन्ध में संक्षिप्त तथ्य और अपराध (अपराधों) का विवरण (फर्म के पत्र-शीर्ष पर विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित एक अलग पृष्ठ संलग्न करें):
7. क्या खोज और जव्ती की गई या नहीं? यदि हां, तो खोज और जव्ती के ज्ञापन और अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें:
8. क्या अभियोजन दायर किया जा चुका है? यदि हां, तो शिकायत की एक प्रति सहित उसका विवरण दें:
9. क्या किया गया अपराध प्रथम अपराध है?
10. क्या किया गया अपराध, पिछली बार शमनीय बनाए गए अपराध की तारीख से तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति के उपरान्त दूसरी बार किया गया या अनुवर्ती अपराध है? (कृपया विवरण दें)

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

घोषणा

1. मैं उस शमनीयता राशि का भुगतान करूंगा जो भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2016 के अन्तर्गत शमनीयता प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी।
2. मैं यह मानता हूं कि मैं अधिनियम के अन्तर्गत मेरे द्वारा किए गए अपराध को शमनीय बनाने के लिए मैं अधिकार स्वरूप कोई दावा नहीं करूंगा।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ----- सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री ----- निवासी-----
 ----- एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह आवेदन ----- के रूप में दे रहा हूँ और मैं
 इसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ।

यह कि इस आवेदन में दिया गया विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और मामले के तथ्यों के
 सम्बन्ध में किसी भी प्रासंगिक जानकारी को छिपाया नहीं गया है। इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़ मूल
 दस्तावेज़ों की प्रतियां हैं और मेरे द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित की गई हैं।

आज ----- (तारीख) ----- (माह) ----- (वर्ष) को ----- (स्थान) में सत्यापित।”

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

[फा. सं. 6/2/2018-बी.आई.एस.]

अनिल बहुगुणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2018

G.S.R. 1090(E).—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, namely:—

- (1) These rules may be called the Bureau of Indian Standards (Amendment) Rules, 2018.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Bureau of Indian Standards Rules, 2018 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (a), for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-
 “(g) “Form” means a form appended to these rules;”
- In the said rules, in rule 50, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 “(2) Any person may, either before or after the institution of prosecution, make an application in Form-‘A’ to the compounding authority for composition of an offence as specified in section 33 of the Act.”
- In the said rules, after rule 51, the following form shall be inserted, namely:-

“Form-‘A’

(see sub-rule (2) of rule 50)

(Application for composition of offence)

To,

The Compounding Authority,
 Regional Office, Bureau of Indian Standards

- Full name of the applicant and complete address:
- Address for communication and phone numbers:
- (a). Permanent Account Number (PAN):
 (b). GST No., (if any):

4. The Branch Office of BIS having jurisdiction in the case:
5. Specific provisions/sections of Bureau of Indian Standards Act, 2016, Rules and Regulations framed thereunder, against which the prosecution has been instituted or contemplated for which application of compounding is being submitted (Give the status/stage of the Court case):
6. The brief facts of the court case and particulars of the offence(s) (attach a separate sheet on firm's letter head duly signed):
7. Whether search and seizure was carried out or not? If so, enclose the copy of search and seizure Memo and other related documents:
8. Whether the prosecution has been filed? If so, the details thereof along with a copy of the complaint:
9. Whether the offence committed is the first offence?
10. Whether the offence committed is second or subsequent offence after the expiry of a period of three years from the date of which the offence was previously compounded? (Please indicate the details):

Name and signature of the applicant

DECLARATION

1. I shall pay the compounding amount, as may be fixed by the compounding authority under the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.
2. I understand that I shall not claim, as of right that the offence committed by me under the Act be compounded.

Name and signature of the applicant.

VERIFICATION

I, ----- son/daughter/wife of ----- residing at ----- do solemnly declare that I am making this application in my capacity as ----- and I am competent to verify it.

That the contents of this application are true to the best of my knowledge and belief and no information relevant to the facts of the case has been suppressed. The documents accompanying the application are true copies of the originals and are duly attested by me.

Verified today the ----- day of (month) ----- (year) at ---- (Place).

Name and signature of the applicant.

Place:

Date:

[F. No. 6/2/2018-BIS]

ANIL BAHUGUNA, Jt. Secy.